C M Y K

रायगढ़, शुक्रवार
12.05.2017
ज्येष्ठ कृष्ण 02
पृष्ठ 8, मूल्य 3

साप्ताहिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

www.sjunion.org

Web: www.nyaysakshi.com

3 पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान... 6 हर चुटकुले पर नहीं.... मनोरंजन

» वर्ष-1 » अंक-08 »

खबर ए खास

कश्मीर में स्कूली छात्र का सुरक्षा बलों पर पथराव

जवानों ने किया लाठी मार्च

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कथित मनमानी के खिलाफ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में प्रदर्शन मार्च निकालने के बाद स्कूली छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ सोमवार 8 मई को झड़प हुई , पुलिस ने बताया कि यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्राल इलाके में निकाले गये मार्च को सुरक्षा बलों ने रोक दिया था, इससे नाराज छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक संघर्ष जारी था, बहरहाल, घटना में किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है।

नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री राजनाथ ने दिए आठ मंत्र

केन्दीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल समस्या से निपटने के लिये आठ सूत्रीय समाधान सुझाते हुये नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों से इसे लक्ष्य की एकता के रूप में स्वीकार कर लागू करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित दस राज्यों में एकीकृत कमान के गठन की पहल करते हुये सभी राज्यों से साझा रणनीति बनाकर नक्सली समस्या से निपटने के लिये स्थायी समाधान का सूत्र बताया। सम्मेलन को संबोधित करते हुये आठ सूत्रीय समाधान सिद्धांत के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रौद्योगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल करने की जरूरत बतायी।

अमेरिका में सिख व्यक्ति की हत्या,

सुषमा ने ट्वीट कर कहा विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में घृणा अपराध के संदिग्ध मामले में सिख व्यक्ति की हत्या पर वहां के भारतीय राजदूत नवतेज एस सरना से बातचीत की है, उन्होंने रविवार 7 मई रात ट्वीट किया, मैंने अमेरिका में हमारे राजदूत नवतेज एस सरना से बात की है, हम विदेशों में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों की मदद और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका

चारा घोटाले में चलेगा आपराधिक साज़िश का केस

चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अपील को मंज़ूरी दे दी है, जिससे लालू यादव की मुसीबतें बढ़ गई है। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े सभी चारों मामलों में सुनवाई का सामना करने के 8 मई को आदेश दिए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने निचली अदालत को 68 वर्षीय यादव तथा अन्य के खिलाफ कार्रवाई नौ माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए , पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि प्रत्येक अपराध के लिए पृथक सुनवाई होनी चाहिए, चारा घोटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों से फर्जी तरीके से 900 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कपिल मिश्रा की शिकायत पर 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी

उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निरोधी शाखा एसीबी से सात दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी ने एसीबी से यह भी कहा है कि यह मामला गंभीर है और इसीलिए जिससे भी जरूरत हो पूछताछ की जाए। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल सरकार में मंत्री पद से हटाये गये आप विधायक कपिल मिश्रा ने 400 करोड़ रुपये के टैंकर घोटाला मामले के सबूत 8 मई, को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा,एसीबी को सौंप दिये, मिश्रा का आरोप है कि पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल में हुये इस घोटाले की जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानबूझ कर देरी कर रहे है।

मोदी ने फ्रांस के नए राष्ट्रपति को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर इमन्युएल मैकरॉन को बधाई दी और कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने की खातिर उनके साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं।

कार्यवाही हुई, हुआ अपराध दर्ज नौकरी दिलाने के नाम पर की गई धोखाघड़ी का मामला

Smt.Bhagwati Yadav

Santosh Yadav

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया था आवेदन

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में भगवती यादव जौ0के0/आ0 श्री संतोष यादव, उम्र 25 वर्ष, एवं स्वयं संतोष यादव आ0 हेतराम यादव, उम्र 37 वर्ष दोनो निवासी ग्राम भदरा पो0 पासीद तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0 पिन 496445 ने शपथपूर्वक अपने आवेदन में कहा कि हमारे साथ रामेश्वर चौहान आ0 कतलु चौहान, ग्राम मरारपारा, सोनियाडीह, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार (छ0ग0) ने धोखाघड़ी की है, जिसके सम्बंध में हमारे द्वारा यह आवेदन मय शपथ-पत्र समक्ष नोटरी सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपने आवेदन में कहा कि उक्त रामेश्वर चौहान ने मुझसे छा0वास अधीक्षक भर्ती के तहत् पद दिलवा दूंगा, और मेरी पत्नी को महिला एवं बाल विकास कार्यालय के तहत् शासकीय आँगनबाड़ी में सुपरवाईज़र का पद दिलवा दूँगा, कहकर रु0 80,000/- अक्षरांक रु0 अस्सी हजार रुपये प्रत्येक हेतु अर्थात- कुल एक लाख साठ हजार की मांग की। उक्त सम्बंध में हमारे द्वारा पूछे जाने पर कि हमको आप कहाँ पर नौकरी दिलवाओं गे उसने कहा कि विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर छ0ग0 में दिलवा दूंगा, जिसपर हमें विश्वास हो गया। अपने आवेदन में कहा कि इसके बाद हमने दिनाँक 01/06/2016 को रु0 1,60,000/- अक्षरांक एक लाख साठ हजार रुपये उक्त रामेश्वर चौहान को दिए। इसके बाद रामेश्वर ने मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा और एक रजिस्टर दिया और उसमें 161 अधीक्षकों के नाम हैं कहा, और आप परिवेक्षक हैं कहा, आपका काम यह है कि आप अधीक्षकों की हाजिरी भरिए, तो हमने उसके कथनानुसार हाजिरी भर दी, जिसकी फोटोकॉपी उसके द्वारा पेंशनबाड़ा मंत्रालय भेजी जानी है, कहा। जो हमने भेज दी, इसके बाद मुझे कहा कि साहब पेमेंट नहीं कर रहा, मेडिकल फिर भिजवा दो, जिसे मेरे द्वारा भिजवाया गया। मैं उसके द्वारा कहे गए और कार्य करते रहे, लेकिन हमको किसी प्रकार की नियुक्ति होने की सम्भावना नही लग रही थीं।

हमको लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, मैने बारंबार रामेश्वर चौहान आ0 कतलु चौहान से रकम वापस किए जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं लौटाई है, जिस हेतु इस आवेदन की आवश्यकता हुई।

अपने आवेदन के साथ इस सम्बंध में उनके द्वारा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र समक्ष नोटरी, जारी किया गया है, जिसे इस आवेदन का अंग माना जावे।

उक्त मामले पर सामाजिक न्याय संघ के प्रयासो से दोनो के प्रकरण पर अलग-अलग आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया जा चुका है।

:: सामाजिक न्याय संघ ने प्रकरण की गंभीरता के सापेक्ष में तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण को तत्काल प्रभाव से निम्न को प्रेषित किया था ::

1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, 2/श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, 3/ पुलिस महानिदेशक, 4/ पुलिस महानिरीक्षक, 5/ एस0पी0, रायगढ़, 6/ श्रीमान् एस0पी0, बलौदाबाज़ार, 7/ थाना प्रभारी, थाना कोसीर, 8/ थाना प्रभारी, थाना भटगाँव, जिला बलौदाबाज़ार, छ0ग0। **जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने से संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।**

जस्टिस करनन दोषी करार, तुरंत जेल भेजने के आदेश

इतिहास में पहली बार वर्तमान जज को 6 महीने की सजा मिली

नइ दिल्ली: कोलकाता हाइकोर्ट के जस्टिस सीएस करनन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। उन्हें कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है, यह सजा सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जस्टिस कर्णन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश भी दिया है, इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज के खिलाफ इस प्रकार की कारवाई की गई है। कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा, बता दें कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को एसटी एससी एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस कर्णन की मानसिक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन के आदेश दिए थे और कहा था कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चार मई को जस्टिस कर्णन की जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को मेडिकल बोर्ड की मदद के लिए पुलिस टीम बनाने के निर्देश दिए थे, मेडिकल बोर्ड को आठ मई तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जस्टिस कर्णन ने जांच से इंकार कर दिया और सातों जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश की कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल 8 फरवरी के बाद जारी किए गए जस्टिस कर्णन के आदेश पर संज्ञान ना लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में जस्टिस कर्णन पेश नहीं हुए थे। सुनवाई के दौरान एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों के खिलाफ ही आदेश जारी कर दिए हैं, वो मानसिक रूप से ठीक हैं, वो प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट के

जज के साथ 49 मिनट बहस चली थी, सीजेआई ने जस्टिस कर्णन के जवाबों पर यहां तक कह दिया कि अगर वह मानसिक रूप से बीमार हैं तो कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल करें, जज होने के बावजूद आपको कानूनी प्रक्रिया नहीं पता, हमने आपको जमानती वारंट जारी किए आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि आपका पक्ष जानने के लिए नोटिस किया गया, लेकिन आप कोर्ट नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जस्टिस करनन को कहा कि चार हफ्तों में हलफनामे के जरिए दो सवालों के जवाब दें - क्या वे 20 जजों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानने को तैयार हैं या वे शिकायत वापस लेने और कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनन के न्यायिक और प्रशासनिक कामों पर लगी रोक को हटाने से इनकार किया है। हालांकि जस्टिस कर्णन ने कोर्ट में कहा कि अगर मेरा काम फिर से नहीं दिया गया, तो वे कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, चाहे कोई भी सजा दो भुगतने को तैयार है, वे जेल जाने को भी तैयार हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ असंवैधानिक फैसला लिया है, वे कोई आतंकवादी या असामाजिक तत्व नहीं हैं, उन्होंने जजों के खिलाफ शिकायत की वे कानून के दायरे में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका काम छीन लिया, जिससे मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, अगर मेरा काम वापस दिया जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, कोर्ट के इस कदम की वजह से मेरा सामाजिक बहिष्कार हो गया है, यहां तक कि मेरी प्रतिष्ठा भी चली गई है। उल्लेखनीय है कि कोलकाता हाइकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की वजह से जस्टिस करनन के खिलाफ जमानती वारंटी जारी कर दिया गया था, हालांकि जस्टिस करनन ने वारंट को मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस करनन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साथ ही सीबीआई को इस जांच के आदेश भी दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे अदालत की अवमानना बताया, जिसके बाद सात जजों की खंडपीठ ने जस्टिस करनन के ख़िलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे जस्टिस सीएस कर्णन ने गुरुवार को सीजेआई जेएस खेहर और सात जजों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना से संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया था।

नेता विपक्ष को फिर मार्शल द्वारा बाहर निकाला गया

नइ दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान स्पीकर की इजाजत के बगैर लगातार अपनी बात रखने का प्रयास करने के लिए और स्पीकर की बात नहीं मानने के लिए नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया, इसके बाद स्पीकर ने उन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करवा दिया।

फिल्म का टाइटल सुन प्रधानमंत्री को आ गई हंसी

नइ दिल्ली: अक्षय कुमार इन दिनों काफी खुश हैं, हाल ही में उन्हें बॉलीवुड में सालों की मेहनत के बाद उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला है और अब उनके साथ एक और ऐसी घटना हो गई है जिसमें उनका दिल बाग-बाग कर दिया है, अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी एक फिल्म के बारे में बताया जिसका नाम सुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, दरअसल अक्षय कुमार ने मोदी को अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम जैसे ही बताया पीएम मोदी को हंसी आ गई अक्षय ने पीएम मोदी के साथ अपना एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी की इस मुस्कान ने उनका दिन बना दिया। अक्षय कुमार जल्द ही एक्ट्रेस भूमि पेडणेकर के साथ फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, में नजर आने वाले हैं, फिल्म को श्रीनारायण सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं।

अक्षय कुमार की यह फिल्म पहले 2 जून को रिलीज होने वाली थी जिसे अब आगे बढ़ा कर 11 अगस्त कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को बड़ा झटका कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना 10 जुलाई को सजा पर सुनवाई

नई दिल्ली: बैंकों से लोन को लेकर डिफाल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी माना है, कोर्ट ने कहा उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 10 जुलाई को सजा पर सुनवाई होगी। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना और डिएगो डील से माल्या को मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था, बैंकों ने मांग की है कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार के यूके से प्रत्यर्पण में भी मदद करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से पूछा था कि आपने जो कोर्ट में अपनी सम्पतियों के बारे में जानकारी दी थी वो सही है या नहीं? क्या आपने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या बिना कोर्ट के अनुमति कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि माल्या के ऊपर 9200 करोड़ रुपये का बकाया है। बैंकों ने कहा - माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। विजय माल्या ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे 9200 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज़ को अदा कर पाएं, क्योंकि उनकी सभी सम्पतियों को पहले ही जब्त कर लिया गया है, विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में कहा उनके संपत्ति जो भी थी संपत्ति है वह जब्त की जा चुकी है, अब उनके पास पैसे नहीं हैं, विजय माल्या ने कहा कि जो 2000 करोड़ की उनकी संपत्ति को बैंक ने जब्त की है, बैंक चाहे तो उसे बेच सकता है। सुप्रीम कोर्ट किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ बैंकों की दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई में बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी और कहा था कि कोर्ट किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या को आदेश दे कि वह डिएगो डील से मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर को एक हफ्ते के भीतर उसे भारत लेकर आए, अगर वह पैसे को वापस भारत नहीं लाते तो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हों। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डॉलर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है और उसका एक ट्रस्ट बना रखा है। एसबीआई और दूसरे बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की और कहा कि माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डालर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। बैंको ने डिएगो डील से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मांग की थी, इससे पहले विजय माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की थी। माल्या का कहना है कि संपत्ति का ब्योरा समझौते के लिए दिया था जबकि समझौता नहीं हो रहा है, लिहाजा कोई अवमानना का मामला नहीं बनता दरअसल, सुप्रीम कोर्ट किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई कर रहा है। एसबीआई और बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने माल्या को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। बैंकों की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माल्या ने सील कवर में संपत्ति का ब्योरा दिया, वह गलत है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र रायगढ़ एवं जशपुर जिले हेतु रिपोर्टर/संवाददाता तत्काल संपर्क करें

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
श्रीराम कॉलोनी,स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन * हेडलबर्ग * से 4 कलर की प्रिंटिंग होती है।
प्रिंटिंग जॉब हेतु तत्काल सम्पर्क करें

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

C M Y K